यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U31901UP1985SGC007135
UPRVUNL

संख्या I/33909/2025SE HR -04 दिनांक 11-12-2025

कार्यालय ज्ञाप

यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.10.2025 को सम्पन्न तेरहवीं बैठक, के एजेण्डा आईटम संख्या 13.5 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में "वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पूर्व शासनादेश सं० 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12.06.2024, जिसके द्वारा दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को से0नि0 होने वाले उ०प्र० राज्य सरकार के कार्मिकों की से०नि० तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन/ग्रेच्युटी की गणना हेतु एक नोशनल वेतन वृद्धि जोड़े जाने सम्बन्धी व्यवस्था कुछ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गई है, को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निगमादेश सं० 1146/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2024 दिनांक 18.07.2024 द्वारा यथावत् अंगीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त (सामान्य), अनुभाग-3, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण आदेश संख्या 30/2024/आई/757690/2024/ 10-19099/4/2024 दिनांक 01.10.2024 को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सेवाओं हेतु एतद्द्वारा यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।"

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या I/33909/2025SE HR -04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. अध्यक्ष, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टॉफ ऑफीसर/निजी सचिव।
4. निदेशक, कोशागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ०प्र०, सेक्टर 24/3 (वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिसर), इन्दिरा भवन, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-।), पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7. मुख्य अभियन्ता (स्तर-।/।।), ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय परियोजना, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।

8. महाप्रबन्धक (मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-।।)/जानपद नवपरियोजनाएँ/पर्यावरण एवं सुरक्षा /ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9. महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

10. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

11. कम्पनी सचिव, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रगति, यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर, विद्युत सेवा आयोग भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

13. अधीक्षण अभियन्ता (01/03/04/05/06/औद्योगिक सम्बन्ध/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/ तापीय परिचालन/जानपद), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

14. उप-महाप्रबन्धक मा०सं०-02/वित्त/लेखा, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

15. अधिशासी अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/रिफार्म), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

17. मुख्य लेखाधिकारी/उप-मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा /हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम

लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/ पारीछा (झाँसी) /हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।

18. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

19. उप-महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी (औद्योगिक सम्बन्ध), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

20. उप-मुख्य लेखाधिकारी (कॉरपोरेट), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

21. मुख्य चिकित्साधिकारी/उप-मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी, ओबरा/अनपरा /पारीछा /हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/ मलावन (एटा)।

22. कट् फाइल।

आज्ञा से,

11/12/2025

(प्रवीण कुमार)

<u>अधीक्षण अभियन्ता **(मा०सं०-04)**</u>

संख्या: 11/2024/ सा-3-227/10-19099/4/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक: 12 जून, 2024

विषय- दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियाँ दिनांक 01.01.2006 से लागू की गई हैं, जिसमें कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 जुलाई को अनुमन्य की गई। तत्पश्चात, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियाँ दिनांक 01.01.2016 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी को चुनने का विकल्प दिया गया है।

2. राज्य सरकार के अनेक अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रति वर्ष दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होते हैं जिन्हें यथास्थिति क्रमशः 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतन वृद्धि अनुमन्य होती है परन्तु उन्हें आगामी वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाती क्योंकि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात् 30 जून/31 दिसम्बर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह निर्णय दिया गया है कि चूकि उक्त कर्मचारी वेतनवृद्धि के उपरान्त 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते है, अतः उन्हें वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किये गए है।

4. मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून/ 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

SCAN AnyScanner

दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय।

दिनांक 01 जुलाई को वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था दिनांक-01.01.2006 से प्रभावी वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गयी है। अतः इन आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक-01.01.2006 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हे एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक-01.01.2016 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिको पर भी लागू होगी जो सम्बंधित वर्ष की 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी।

उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 11/2024/सा-3-227(1)/10-19099/4/2024 एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. इरला चेक अनुभाग।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

SCAN AnyScanner

(3)

निविदा 42

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
{उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम}
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001
CIN : U31901UP1985SGC007135
UPRVUNL

संख्या : 1146/मा0सं0(04)/2024–03(05)/मा0सं0(04)/2022 दिनांक : 18.07.2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2024 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक, के एजेण्डा आइटम संख्या 04.33 पर लिये गये निर्णयानुसार निम्नवत् आदेशित किया जाता है:–

"दिनाँक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े जाने के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत समविषयक शासनादेश संख्या: 11/2024/सा–3–227/10–19099/4/2024 दिनाँक: 12/06/2024 (संलग्न) को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम की सेवाओं हेतु यथावत् अंगीकृत किया जाता है।"

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1146/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टॉफ ऑफीसर/निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I), पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मेजावन (एटा)।
6. महाप्रबन्धक (मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–II)/जानपद नवपरियोजनाएँ/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), जल विद्युत स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रगति, उ0प्र0रा0 विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वीं, समाज कल्याण बिल्डिंग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. अधीक्षण अभियन्ता (01/03/04/05/06/औद्योगिक सम्बन्ध/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उपमहाप्रबन्धक मा0सं0–02/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

SCAN AnyScanner

13. अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/रिफार्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. मुख्य लेखाधिकारी/उप–मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।
16. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. उप–महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. उप–मुख्य लेखाधिकारी (कारपोरेट), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19. मुख्य चिकित्साधिकारी/उप–मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।
20. कट् फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-30/2024/आई/757690/2024/10-19099/4/2024
लखनऊः दिनांक 01 अक्टूबर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण

विषयः- शासनादेश दिनांक 12.06.2024 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय, जिसके संबंध में शासन को विभिन्न मोड्यूल्स एवं विभागों से प्रकरण के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

2- दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों को एक वेतनवृद्धि देय के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 12.06.2024 में प्रावधानित व्यवस्था के क्रम में स्पष्ट करना है कि प्रकरण से आच्छादित कार्मिकों को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने की स्थिति में राशिकरण एवं ग्रेच्युटी भी आगणित होगी तथा अन्तर की धनराशि का भुगतान करने के साथ ही भुगतान किये जाने वाले राशिकरण के अन्तर की धनराशि के भुगतान की तिथि से पेंशन से कटौती की जायेगी।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2). समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

(3). समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।